क्रम-संख्या–101

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 मार्च, 2026
फाल्गुन 26, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–5

संख्या 213 / सत्तर-5–2026-2018365
लखनऊ, 17 मार्च, 2026

अधिसूचना

प0आ0–70

चूंकि, पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्ति को सुविधाजनक एवं निर्बाध रीति से सहायिकियां, प्रसुविधायें और सेवायें प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए बहुविध दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, प्रक्रियायें सुगम हो जाती हैं तथा पारदर्शिता एवं दक्षता में अभिवृद्धि होती है;

और, चूंकि, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) के परामर्शोपरांत, अपने पत्र-संख्या ई0-एफ0 सं0 13(4) / 2020–ईजी–II (खंड–IV) दिनांक 26 फरवरी, 2026 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग (जिसे आगे ''उक्त विभाग'' कहा गया है), उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे ''उक्त सरकार'' कहा गया है) को सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन विहित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात किया था कि उक्त सरकार / विभाग को अधिप्रमाणन निष्पादित करने और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दिये जाने तथा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 5 के अधीन उसे अधिसूचित करने की अनुज्ञा दी जा सकती है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षा/चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान, जिसमें सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का समय भी सम्मिलित है, अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए उक्त नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन यथा–विहित ''हाँ/नहीं'' अथवा/और, ई0के0वाई0सी0 अधिप्रमाणन सुविधाओं (जिसे आगे ''उक्त प्रयोजन'' कहा गया है) का उपयोग करते हुए आधार अधिप्रमाणन ई0के0वाई0सी0 का निष्पादन किया जाएगा और उक्त प्रयोजन हेतु आधार अधिप्रमाणन का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल उक्त प्रयोजन हेतु ही आधार अधिप्रमाणन निष्पादित करेगा;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखण्ड (दो) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त विभाग एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:–

1– (1) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अधिनियम में यथा उपबन्धित अधिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमावली के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर है; विभाग/आयोग आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों के सम्बंध में सूचित करेगा और आधार अधिप्रमाणन हेतु मना करने या असमर्थ होने की स्थिति में किसी भी आधार संख्या धारक को किसी सेवा से वंचित नहीं करेगा।

2– यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

एम0 पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 213/LXX-5–2026-2018365**,** dated March 17, 2026 .

No. 213/LXX-5–2026-2018365

Dated Lucknow, March 17, 2026

WHEREAS, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

AND, WHEREAS, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed *vide* its letter no. eF. no. 13(4)/2020-EG-II(Vol-IV) dated 26th February, 2026 to the Department of Higher Education (hereinafter referred to as the "said Department"), Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "said Government") for the purposes prescribed under sub-rule (1) of Rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the "said rules") that the said Government/Department may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules *read* with sub-clause (ii) of Clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the "Act");

AND, WHEREAS, the Aadhaar authentication/eKYC shall be performed for establishing the identity of candidates during various stages of examination/selection process conducted by the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission, including at the time of joining the service, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities (hereinafter referred to as the "said purpose") as prescribed under sub-rule (1) of Rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission shall perform the Aadhaar authentication only for the said purpose;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Rule 5 of the said rules *read* with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Act, the said Department hereby notifies the following, namely:-

1. (1) The Uttar Pradesh Education Service Selection Commission, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

   (2) As per sub-rule (2) of Rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis; the Department/Commission shall inform the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official *Gazette.*

By order,
M. P. AGRAWAL,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 444 राजपत्र–2026–(1306)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 उच्च शिक्षा–2026–(1307)–1000 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

444 RPH 2026 (Ucch Shiksha anu.5) Data 1e